## FORM-1

### Government of Uttarakhand
### Office of the District Collector: Almora

**No---** **Dated-----**

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.612** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for Convert to **Saughar-Pantgaun-Chamarkhan Motor Road Single Lan To 1.5 Lan in Distt Almora** in **Almora** district falls within jurisdiction of **Mohanari, Bhakuniya, Pantgaun, Dharad, Gair Gaun, Sirmoli, Bagdwar,** village (s) in **Bhikiyasain** tehsil.

It is further certified that:

(p) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.612** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(r) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Encl: As above.**

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

14/12

**Signature**
**(Full name and official seal of the District Collector)**

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

**ANNEXURE....**

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**
**DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal, I.A.S Deputy commissioner Almora on date .14/12/16.. at time .3:00 P.M....at Almora in which application claiming rights in **Mohanari, Bhakuniya, Pantgaun, Dharad, Gair Gaun, Sirmoli, Bagdwar,** area measuring **0.612** hectares, for Convert to **Saughar-Pantgaun-Chamarkhan Motor Road Single Lan To 1.5 Lan in Distt Almora** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhikiyasian** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place:Almora**

**Dated:.14/12/16...**

[signature] 14/12

**Deputy Commissioner-cum-Chairman**
**District Level Committee**
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

[signature]
जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

## प्रारूप–30.2

परियोजना का नाम– सैणढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी,भिक्यिासैन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, भिक्यिासैन

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तगर्त 0.612 हे0 वन भूमि) का **लो0नि0 विभाग.** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील भिकियासैन) की दिनांक 19/11/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री रजा अब्बास उपजिलाधिकारी भिकियासैंण ............ अध्यक्ष

2– श्री बी के सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत ............ सदस्य

3– श्री ललित जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी ............ सदस्य /सचिव

4– श्री संजय मेहरा बी0डी0सी0 क्षेत्र 19 मोहनरी ............ सदस्य

उपजिलाधिकारी भिकियासैंण जनपद अल्मोड़ा

19 मोहनरी विकास खण्ड भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

19/11/2016

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **सैणढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** लो0नि0विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **भिक्यिासैन** परिक्षेत्र के **सैणढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु **0.612 हे0** वन भूमि– **निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

19/11/16
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील............
जनपद............
उपजिलाधिकारी भिकियासैंण
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी,अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

19/11/16
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील............
जनपद............
उपजिलाधिकारी भिकियासैंण
जनपद अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :–सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम –पंतगॉव तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु (0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.459 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.153हे0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 हे0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **पंतगॉव** द्वारा दिनांक 11/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **पंतगॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

प्रधान

मुहर सहित ग्राम पंचायत पन्तगॉव

वि0ख0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

## प्रपत्र–23.1

दिनांक 11/10/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | क्षेमानन्द पन्त | क्षेमानन्द पन्त |
| | दीवान राम | दीवान राम |
| | उमेश चन्द्र पन्त | [signature] |
| | मनोज जोशी | [signature] |
| | चन्द्रशेखर जोशी | [signature] |
| | दिनेश पंत | [signature] |
| | कैलाश चन्द्र | [signature] |
| | मोहन चन्द्र | [signature] |
| | रतनलाल चन्द्र पन्त | [signature] |

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत पन्तगाँव
वि0ख0 भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :–सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम –मोहनरी
## तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण हेतु (0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.459 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.153हे0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 हे0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मोहनरी** द्वारा दिनांक 8/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मोहनरी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/
ममता रावत
ग्राम प्रधान
मौहनरी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

क्षेत्र पंचायत सदस्य
विकास खण्ड भिक्यासैण
8/10/2016

<u>प्रपत्र–23.1</u>

दिनांक......8/10/16......... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | नन्दन सिंह | नन्दनसिंह |
| 2 | खुशहाल सिंह | खुशालसिंह |
| 3 | मोति राम | मोतिराम |
| 4 | आनन्द सिंह रावत | आनन्द |
| 5 | गंगा सिंह | गंगासिंह |

क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिकियासैंण
जिला अल्मोड़ा

ममता रावत
ग्राम प्रधान
मोहनरी

<u>प्रारूप–30.3</u>

परियोजना का नाम :–सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम –भकुनिया
## तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में **सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु (0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.459 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.153हे0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 हे0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **भकुनिया** द्वारा दिनांक 8/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **भकुनिया** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिकियासैण
जिला–अल्मोड़ा

सरपंच
वन पंचायत भकुनिया
पो0-चौनलिया (अल्मोड़ा)
रवीम सिंह

ह0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

हन्सी देवी

प्रपत्र–23.1

दिनांक 8/10/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | कमल सिंह | कमलसिंह |
| 2 | राधा देवी | राधादेवी |
| 3 | केशर सिंह | केशरसिंह |
| 4 | बहादुर सिंह | बहादुर |
| 5 | पूरन सिंह बिष्ट | पूरनसिंह बिष्ट |
| 6 | देव सिंह | देवसिंह |
| 7 | लक्ष्मण सिंह | लक्ष्मण सिंह |

(हस्ताक्षर)
क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिकियासैण
जिला–अल्मोड़ा

सरपंच
वन पंचायत भकुनिया
पो0-जौनलिया (अल्मोड़ा)
खीम सिंह

ग्राम प्रधान

हंसी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
पो0-[illegible]
वि0 खण्ड भिकियासैण (अल्मोड़ा)

प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम :—सौगढ़ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम —बगडवार
## तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु (0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.459 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.153हे0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 हे0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बगडवार** द्वारा दिनांक 9/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **भकुनिया** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिक्यिासैण
जिला -अल्मोड़ा

ह0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

हन्सी देवी

प्रपत्र–23.1

दिनांक 9/10/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | आनन्द सिंह रावत | Anand Singh Rawat |
| 2 | हयात सिंह | हयात सिंह |
| 3 | धननाथ | Dhannath |
| 4 | मोती नाथ | मोती नाथ |
| 5 | महेश नाथ | महेश नाथ |
| 6 | भूपेन्द्र सिंह | भूपेन्द्र सिंह |

क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिकियासैण
जिला–अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

हन्सी देवी

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :–सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम –सिरमोली
## तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु (0.00है0 आरक्षित वन भूमि 0.459 है0 सिविल सोयम भूमि 0.153है0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 है0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सिरमोली** द्वारा दिनांक 08/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिरमोली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिकियासैण
जिला-अल्मोड़ा

ह0/
प्रधान 8/10/2016
ग्राम प्रधान/सरपंच सिरमोली
वि०ख० भिकियासैन (अल्मोड़ा)
मुहर सहित

प्रपत्र–23.1

दिनांक 18/10/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | जगदीश चन्द्र | जगदीश चन्द्र |
| | पूरन सिंह मेहरा | [signature] |
| | नन्दी देवी | नन्दी देवी |
| | रेनू मैनवाल | [signature] |
| | मोहन चन्द्र | मोहन चन्द्र |
| | जगदीशचन्द्र | [signature] |

क्षेत्र पंचायत सदस्य
19 मोहनरी
विकास खण्ड भिकियासैण
जिला-अल्मोड़ा

18/10/2016
प्रधान
ग्राम पंचायत सिरमोली
वि०ख० भिकियासैन (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :–सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम –धारण
## तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु (0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.459 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.153हे0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 हे0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **धारण** द्वारा दिनांक 9/10/16....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **धारण** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

त्रिशा पंत

प्रधान
ग्राम पंचायत धारड़
भिक्यासैण (अल्मोड़ा)

ह0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

बालम सिंह

सरपंच
वन पंचायत धारड़
पो0–पन्तगांव (अल्मोड़ा)

**प्रपत्र—23.1**

दिनांक 9/10/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 1 | हरीश सिंह | हरीश सिंह |
| 2 | सुरेन्द्र सिंह बिष्ट | [illegible] |
| 3 | गिरीश सिंह बिष्ट | गिरीश सिंह |
| 4 | चन्दन पपने | चन्दन पपने |
| 5 | मथुरा दत्त पपने | मथुरा दत्त |

[illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत धारड़
[illegible] गैरसैण (अल्मो...)

ग्राम प्रधान

बालम सिंह

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :–सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण

## वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

## ग्राम पंचायत का नाम –गैरगॉव
## तहसील भिक्यिासैन जिला अल्मोड़ा

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **सौगढ पन्तगॉव चमडखान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से ढेड लेन मे परिर्वतन किये जाने का निर्माण** हेतु (0.00हे0 आरक्षित वन भूमि 0.459 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.153हे0 वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 0.612 हे0 वन भूमि का लो0नि0 विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गैरगॉव** द्वारा दिनांक 11/10/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में **निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत** द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गैरगॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

B.S. Dhan

सरपंच
वन पंचायत गैरगाँव
वि0ख0 भिकियासैण अल्मोड़ा

सरस्वती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गैरगाँव
वि0 ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

**प्रपत्र–23.1**

दिनांक 11/10/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

| क्रम सं0 | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | बालम सिंह<br>बद्री दत्त<br>प्रताप सिंह | बालम सिंह<br>बद्री दत्त<br>प्रताप सिंह |

ग्राम प्रधान

सरस्वती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गैरगाँव
वि0 ख0 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

B.S. Bhan
सरपंच
वन पंचायत गैरगाँव
वि0ख0 भिकियासैण अल्मोड़ा